पंचायत निगरानी संख्या : 220/2024
उनवान : विकास अधिकारी सुमेरपुर बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बामनेरा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 220/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/249

प्रार्थी :–

विकास अधिकारी पंचायत समिति सुमेरपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत बामनेरा
2. श्री मूलचंद पुत्र श्री हेमाजी निवासी बामनेरा तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम पंचायत बामनेरा द्वारा जरिये मिसल संख्या 88/2017–18 पट्टा संख्या 38 दिनांक 20.06.2018 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थितिः–

1. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री हेमन्त कुमार बोहरा।
2. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश दवे।

–:निर्णयः–

दिनांकः 03.09.2025

प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. सुमेरपुर की ओर से पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **ग्राम पंचायत बामनेरा द्वारा जरिये मिसल संख्या 88/2017–18 पट्टा संख्या 38 दिनांक 20.06.2018 को निरस्त करवाने बाबत्** करवाने बाबत् पेश की गई।

प्रार्थी की ओर से पंचायत निगरानी विरुद्ध अप्रार्थीगण निम्नांकित अनियमितताओं के कारण प्रस्तुत की गईः–

1. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 सरपंच ग्राम पंचायत बामनेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को पट्टा संख्या 38 दिनांक 20.06.2018 को 990 वर्गफीट खुली भूमि का पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है जो नियम विरुद्ध है।
2. यह है कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पुराने आवासीय गृहों के पट्टे जारी करने का प्रावधान है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को पट्टा संख्या 38 खुली भूमि का पट्टा नियम 157(1) के तहत नियम विरुद्ध जारी किया गया है।
3. यह है कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत 200 रुपये पंचायत कोष में जमा कर अप्रार्थी संख्या 02 को पट्टा संख्या 38 जारी किया गया है। मौके पर पट्टा संख्या 38 की भूमि खुली पड़ी हुई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 220/2024
उनवान : विकास अधिकारी सुमेरपुर बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बामनेरा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

4. यह है कि खुली भूमि का पट्टा बाजार दर से जारी करने का प्रावधान है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 उक्त भूमि का पट्टा बाजार दर से जारी करते तो ग्राम पंचायत को लाखो रुपयो का राजस्व प्राप्त होता, परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को उक्त खुली भूमि का पट्टा संख्या 38 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत मात्र 200 रुपये पंचायत कोष में जमा कर पट्टा जारी किया गया है। जिससे ग्राम पंचायत को लाखों रुपयों की आर्थिक हानि हुई है। अतः पट्टा संख्या 38 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत बामनेरा द्वारा पट्टा संख्या 38 जारी दिनांक 20.06.2018 को 990 वर्गफीट खुली भूमि का पट्टा नियम विरुद्ध जारी होने के कारण निरस्त फरमावे।

प्रस्तुत निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से काबिल अधिवक्ता श्री हेमन्त कुमार बोहरा एव अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश दवे उपस्थित आए।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने निगरानी याचिका को जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. ग्राम पंचायत बामनेरा द्वारा दिनांक 20.06.2018 को आवश्यक भूखण्ड विक्रय विलेख पट्टा नम्बर 31 दिनांक 20 जून 2018 को जारी किया गया है जो अप्रार्थी संख्या 02 के नाम से है। उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी करने से पूर्व उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या दो के पिता के कब्जे में थी तथा अप्रार्थी संख्या दो व उनके चारो भाईयो के मध्य दिनांक 05.06.2006 को आपसी बंटवाडा किया गया व बंटवाडे के अप्रार्थी संख्या दो काबिज रहकर अपने निवास हेतु छोटा मकान बनाया व जनता जल योजना के तहत पानी कनेक्शन लिया। वर्ष 2006 में अतिवृष्टि के कारण मकान का कुछ हिस्सा क्षतिगस्त हो गया।
2. यह है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा पट्टा नम्बर 38 में वर्णित पड़ौस के भूखण्ड मकान का पट्टा ग्राम पंचायत बामनेरा से बनाने हेतु आवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत बामनेरा द्वारा पट्टा जारी किया गया व अप्रार्थी संख्या दो द्वारा दिनांक 23.10.2019 को क्षतिग्रस्त मकान के पुनः निर्माण हेतु ग्राम पंचायत बामनेरा में निर्माण की ईजाजत की रसीद कटवाई गई व नियमानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। उपरोक्त पड़ौस के पट्टे के अप्रार्थी संख्या दो के हिस्से में आये हुये भू–भाग में अप्रार्थी संख्या दो के पिता के जीवनकाल में निर्माण शौचालय व कच्चा निर्माण बंट में आया था।
3. यह है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को अपने निवास से बेदखल करने के लिये अप्रार्थी संख्या एक से मिलकर के गलत तथ्यों के कार्यवाही की है।
4. यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के कब्जाशुदा व ग्राम पंचायत बामनेरा द्वारा जारी पट्टा नम्बर 38 सम्पूर्ण कानूनी व विधि की प्रक्रिया से जारी किया गया है।
5. यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के कब्जाशुदा भू–भाग में पट्टा नम्बर 38 में वर्णित भूमि के अलावा कोई कब्जा नही है। पट्टे में वर्णित पडौस व माप सही है। अतः अप्रार्थी संख्या

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 220/2024
उनवान : विकास अधिकारी सुमेरपुर बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बामनेरा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

दो की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका खारिज फरमावें।

प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया एवं अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

प्रार्थीपक्ष की ओर से वक़्त बहस कोई उपस्थित नहीं। काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या दो बहस के दौरान निवेदन किया कि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड पर प्रार्थी के पिता का अपने जीवनकाल में अबाधित कब्जा था तथा वर्ष 2006 में निष्पादित पारिवारिक बंटवाडे में उक्त भूखण्ड अप्रार्थी के हिस्से लिखत किया गया। यह कि, अप्रार्थी के पिता के जीवनकाल से ही उक्त भूमि पर शौचालय तथा कच्चा निर्माण अवस्थित था जिसका कुछ हिस्सा वर्ष 2006 की अतिवृष्टि में नष्ट हो गया एवं अप्रार्थी द्वारा वर्ष 2019 में ग्राम पंचायत बामनेरा से निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने खुले भूखण्ड का पट्टा देने बाबत् प्रार्थी के कथन का खण्डन करते हुए हस्तगत निगरानी याचिका को खारिज करने का निवेदन किया।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

विचाराधीन पंचायत निगरानी याचिका में प्रार्थी द्वारा आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 38 बज़तरफ अप्रार्थी श्री मूलचन्द को मुख्यतः इस आधार पर चुनौति दी गई है कि मौके पर भूखण्ड खाली होते हुए भी ग्राम पंचायत बामनेरा द्वारा 'पुराने गृहों के विनियमितिकरण' नियम 157 के अन्तर्गत अवैधानिक ढंग से आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थीपक्ष द्वारा अपने तर्कों की पृष्टि में प्रमाणस्वरुप अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारीगण द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट मय मौक़ा फर्द दिनांक 08.12.2021 प्रस्तुत की गई।

अप्रार्थी/पट्टाधारी द्वारा इसका खण्डन करते हुए प्रश्नगत भूखण्ड पर पिता के जीवनकाल से अनवरत कब्जा होने, मौके पर शौचालय निर्मित होने तथा वर्ष 2006 में अतिवृष्टि में कुछ हिस्सा नष्ट होने का कथन करते हुए प्रमाण स्वरुप मौके के फोटोग्राफ्स पेयजल बिल तथा निर्माण स्वीकृति आवेदन रसीद की प्रतिलिपि प्रस्तुत की, जो शामिल पत्रावली है।

निगरानी याचिका के सलंग्न प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट एवं मौका फ़र्द दिनांक 08.12.2021 में आलोच्य भूखण्ड पर कोई निर्माण नहीं होने तथा मौके पर भूमि खाली होने का अंकन किया हुआ है। इसके प्रत्युतर में अप्रार्थीपक्ष द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर शौचालय निर्मित होने का कथन करते हुए फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये। यद्यपि उन फोटोग्राफ्स के अवलोकन से यह सिद्ध नहीं होता है कि आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड पर अप्रार्थी का रहवासी कब्जा है, बल्कि भूखण्ड पर झाडियाँ एवं कुछ टूटे-फूटे निर्माण सामग्री दृष्टिगोचर होती है, जो यह मानने का आधार नही हो सकता कि उक्त भूखण्ड पर पुराने घर के रुप में पट्टाधारी का कब्जा हो। यह अंकन करना भी महत्वपूर्ण है कि आलोच्य मिसल संख्या 88/17-18 में सलंग्न स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (नियम 146) में भी पट्टा जारी करने से पूर्व पुराना घर निर्मित होने बाबत् कोई अंकन नहीं है। यदि अप्रार्थी के इस कथन पर विश्वास

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 220/2024
उनवान : विकास अधिकारी सुमेरपुर बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बामनेरा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

कर भी लिया जाए कि वर्ष 2006 की अतिवृष्टि में निर्माण का आंशिक हिस्सा नष्ट हो गया था, तो भी जांच रिपोर्ट से यह प्रमाणित है कि दिनांक 18.12.2021 तक विवादग्रस्त भूखण्ड पर कोई रहवासी निर्माण नहीं था, और यह भी, कि स्थल निरीक्षण रिपोर्ट इस तथ्य का स्वयं सिद्ध प्रमाण है कि आलोच्य पट्टा विलेख जारी होने से पूर्व भी उक्त भूखण्ड पर कोई रहवासी निर्माण यथा पुराना गृह इत्यादि अवस्थित नहीं था। यदि अप्रार्थी के कथनानुसार मौके पर शौचालय स्थित भी हो, तो रहवासी गृह के अभाव में अप्रार्थी राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के प्रावधानान्तर्गत पट्टा विलेख प्राप्त करने हेतु पात्र नही बन जाता है। अप्रार्थी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत पेयजल बिल से भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त बिल इसी भूखण्ड से सम्बन्धित है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं वजूहातों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख खाली भूखण्ड से सम्बन्धित है, जबकि पूर्वोक्त नियम 1996 के नियम 157 (पुराने गृहों का विनियमितिकरण) में खाली भूखण्ड का पट्टा दिया जाना अनुमत नहीं है।

अतः हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत बामनेरा द्वारा मिसल संख्या 88/2017–18 में पारित संकल्प संख्या 11 दिनांक 10.11.2017 तथा इसके अनुक्रम में निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 38 बज़तरफ श्री मूलचन्द पुत्र हेमाजी अपास्त किये जाते है। साथ ही, प्रकरण ग्राम पंचायत बामनेरा को पुनप्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि यदि अप्रार्थी का प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में कब्जे व स्वामित्व सम्बन्धि वैध दावा सिद्ध पाया जाए, तो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के प्रावधानानुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना करते हुए निर्धारित बाजार दर पर पट्टा विलेख जारी करने का नए सर विधिसम्मत निर्णय लिया जाए।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बामनेरा ज़ैर निगरानी अपास्त किए गए पट्टा विलेख पर लाल स्याही से बड़े–बड़े अक्षरों में 'निरस्त' अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2025 को सरे इज़लास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड पुनः लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner